संख्या- 03/2023/938/53-1099(099)/26/2022

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,उ0प्र0,
लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 03 अक्टूबर,2023**

विषयः उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 में संशोधन के सम्बन्ध में ।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-311/दुग्ध-9/दुग्ध नीति-2022/2023-24,दिनांक-28.08.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 में संशोधन के सम्बन्ध प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में अधिसूचना संख्या-03/2022/1050/53-1099(099)/26/2022,दिनांक-17.10.2022 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022" में संशोधन का निर्णय लिया गया है । अतः उक्त नीति के प्रस्तर-4 के शीर्षक "प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाईयों को अनुमन्य वित्तीय अनुदान, रियायतें एवं सुविधायें" के अंतर्गत उप प्रस्तर 4.8, 4.9 एवं प्रस्तर 10 शीर्षक "प्रकीर्ण" के अंतर्गत प्रस्तर 10.3 निम्नवत् होगा :-

4.8 आरक्षित भूमि के श्रेणी परिवर्तन शुल्क में छूट-

इस नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले परियोजना स्थल के मध्य आने वाली आरक्षित श्रेणी की भूमियों जैसे चकरोड आदि का श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा तथा आरक्षित श्रेणी की भूमि चकरोड, नाली इत्यादि के विनिमय के फलस्वरूप दी जाने वाली भूमि पर चकरोड, नाली इत्यादि का निर्माण प्रश्नगत निवेशक/संस्था द्वारा स्वयं कराकर दिया जायेगा।

4.9 भू-उपयोग परिवर्तन एवं बाह्य विकास शुल्क में छूट-

(i) इस नीति के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण एवं औद्योगिक विकास विभाग के अधीन उत्तर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण,उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों के लिये कृषि भूमि में स्थापित होने की स्थिति में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की दर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी ।

(ii) इस नीति के अंतर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण एवं औद्योगिक विकास विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण,उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों को बाह्य विकास शुल्क की दर में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी ।

10.3 उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022, अधिसूचना की तिथि से 05 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 की प्रख्यापन तिथि से पूर्व, दुग्ध विकास विभाग में तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पोर्टल पर दुग्ध प्रसंस्करण से सम्बन्धित, प्राप्त आवेदनों, जिनको उक्त कट आफ तिथि से पूर्व बैंक ऋण स्वीकृत हो चुका है, को उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अंतर्गत अनुमन्य अनुदान एवं रियायतें स्वीकृत की जायेंगी ।

3- उपर्युक्तानुसार अधिसूचना संख्या-03/2022/1050/53-1099(099)/26/2022,दिनांक-17.10.2022 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022"को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त नीति के शेष प्रविधान यथावत रहेंगे ।

डा0 रजनीश दुबे
अपर मुख्य सचिव

संख्या-938(1)/53-1-2023 एवं तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- सचिव,पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली, भारत सरकार।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7- स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
12 मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
13- वित (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1/2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
14- वेब मास्टर,दुग्धशाला विकास विभाग,जवाहर भवन,लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
15- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।